



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा

भवन निर्माण अनुमति : साकेत भवन आई.टी.आई. चौक, कोरबा

मु.का. दूरभाष: 221288, 222672, फैक्स : 07759-221929, पो. बाक्स नं. : 12 पिन कोड :495677

Website : www.korbamunicipal.in, Email : Corporationkorba@gmail.com

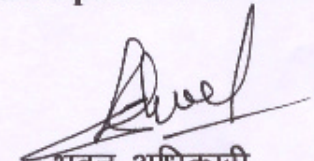
पृ.क./भवन अनुज्ञा/11/2019/2815

कोरबा दिनांक 29/5/2019

EOINO-51329

रुचि की अभिव्यक्ति

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निगम क्षेत्रांतर्गत विभिन्न भवनों में रैन वाटर हार्वैस्टिंग पिट निर्माण हेतु पंजीकृत अशासकीय संगठनों (एन.जी.ओ.) बेरोजगार इंजीनियर्स (सिविल) निगम में पंजीकृत वास्तुविद् एवं एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकदारों से रुचि की अभिव्यक्ति निर्धारित ड्राईंग एवं डिजाइन अनुसार ऑफर ई-टेण्डर के माध्यम से दिनांक 13.06.19 को सांय 5:30 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। आवेदन के साथ राशि रुपये 1000/- नगद जमा कर रसीद प्रस्तुत करना होगा। ऑफर संबंधी विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम कोरबा के वेबसाईट www.korbamunicipal.in से प्राप्त की जा सकती है।


भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा

भवन निर्माण अनुमति : साकेत भवन आई.टी.आई. चौक, कोरबा

मु.का. दूरभाष: 221288, 222672, फ़ैक्स : 07759-221929, पो. बाक्स नं. : 12 पिन कोड : 495677

Website : www.korbamunicipal.in, Email : Corporationkorba@gmail.com

शर्तें :-

01. संस्था पंजीकृत हो तथा किसी राज्य सरकार या सरकारी प्रतिष्ठान से मान्यता प्राप्त हो प्रमाण की सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
02. आदेश प्राप्ति के पश्चात कार्य 01 माह में पूर्ण कर देना होगा।
03. अशासकीय संस्था द्वारा कार्य समयावधि में पूर्ण न करने पर संबंधित अशासकीय संस्था से लागत मूल्य का 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से लंबित अवधि हेतु दण्ड देना होगा।
04. उपरोक्त कार्य का प्राक्कलन राशि संलग्न मानचित्र अनुसार निम्नानुसार है :-

टाईप	ए-	20,500 /-
टाईप	बी-	55,000 /-
टाईप	सी-	7,500 /-
टाईप	डी-	20,000 /-
टाईप	इ-	31,500 /-
टाईप	एफ-	53,300 /-
टाईप	जी-	69,000 /-
टाईप	एच-	2,11,000 /-
05. कंडिका 04 में दिये गये विभिन्न आकार (टाईप) के कार्य के अतिरिक्त ऑफर कर्ता संधारण/निर्माण हेतु आयटम दर भी कोड कर सकते हैं।
06. शासन को देय समस्त रायल्टी/करों/शुल्कों का भुगतान करने की जवाबदारी कार्य एजेंसी की होगी।
07. ऑफर स्वीकृत होने पर संबंधित कार्य एजेंसी को नगर पालिक निगम में उपस्थित होकर 03 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादित करना होगा एवं आदेश की प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ करना होगा।
08. कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम कोरबा के पास सुरक्षित होगा।
09. सभी प्रमाण पत्र सत्यापित होने चाहिए एवं आवश्यक होने पर मूल प्रति अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा।
10. किसी भी ऑफर को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का निर्णय नगर पालिक निगम कोरबा का होगा।
11. शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश में परिवर्तन होने पर संशोधित आदेश मान्य होगा।
12. कार्य हेतु राशि रुपये 10,000 /- की अमानत राशि का टी.डी.आर. के रूप में ऑफर के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
13. ऑफर में भाग लेने वाली एजेंसी को आवेदन पत्र के साथ उपरोक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि आयकर प्रमाण पत्र, पेन कार्ड एवं छ.ग. वाणिज्य प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि एफडीआर/टीडीआर जो आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम देय होगा, जो कि दिनांक तक कार्यालयीन समय में संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. ऑफर में प्राप्त न्यूनतम दर पर ऑफर कर्ता किसी भी एजेंसी से निगम, कार्य करा सकता है।